

प्रेषक,

डॉ0 अंजनी कुमार,  
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (अंधापन)  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सिविल सर्जन,

दरभंगा/गोपालगंज/सहरसा/अररिया/बांका/खगड़िया/जमुई/बक्सर/कैमुर/  
सुपौल/किशनगंज/अरवल/लखीसराय/शिवहर/शेखपुरा/मुंगेर एवं सिवान।

पटना, दिनांक- 25/5 /2012

विषय-

नेत्र सर्जन एवं नेत्र सहायकों की संविदा अवधि विस्तार के सम्बन्ध में।

महाशय,


निदेशानुसार सभी नेत्र सर्जन एवं नेत्र सहायकों का चयन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया गया है, परन्तु अनुबंध हस्ताक्षरित जिलाके संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में निम्न बिन्दुओं पर आप अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करें:-

1. संबंधित संविदा कर्मियों के सेवा संतोषप्रद हो तो सेवा अवधि विस्तार की कार्रवाई हेतु जिला स्वास्थ्य समिति स्वयं सक्षम एवं स्वतंत्र ईकाई है।
2. संबंधित संविदा कर्मियों की सेवा अंतोषप्रद हो तो सेवा समाप्ति का भी निर्णय जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से लिया जायेगा।
3. संबंधित संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार अगले तीन वर्षों के लिए अथवा जबतक कार्यक्रम के संचालन के लिए राशि भारत सरकार से प्राप्त होती रहे तबतक के अवधि के लिए किया जायेगा।

उपरोक्त कंडिका-1, 2 एवं 3 पर कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

  
(डॉ0 अंजनी कुमार)

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (अंधापन)  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- BD/अनुबन्ध-विज्ञप्ति/अंधापन/स्वा0-10-61/नि0प्र0(अंधापन), स्वा0,पटना, दिनांक- 25/5 /2012

प्रतिलिपि-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-संबंधित जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-संबंधित जिलों के अपर मु0 चि0 पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (अंधापन)  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।